प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 06 मई, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर पालिका परिषद, राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र की पुनर्गठन पेयजल योजना के सम्बन्ध में द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-75/नागर-2/033-410/15, दिनांक-02.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पालिका परिषद, राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र की पुनर्गठन पेयजल योजना सम्बन्धी कार्यों हेतु निर्धारित लागत रू0 9601.55 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-567(1)/नौ-5-2014-133बजट/2013, दिनांक-30.12.2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2400.25 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि को अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) संदर्भित कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-567(1)/नौ-5-2014-133बजट/2013, दिनांक-30.12.2014 द्वारा निर्धारित शर्तो/ प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा। अवशेष धनराशि परियोजना के पूर्ण होने तथा कम्पलीशन सर्टीफिकेट उपलब्ध कराने के उपरांत अवमुक्त की जा सकेगी।

(4). कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

-2/

go finance mangal font

(8) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो को किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या- 112/2016-1402(1)/नौ-5-16-133बजट/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/बरेली।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (इला0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
9- अधिशासी अभियंता, त्रतीय खण्ड उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र ।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-06/05/2016

प्रेषण संख्या:- 112

आवंटन आदेश संख्या:- 001-112-2016-1402-9-5-16-133B-2013

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	72500000	72500000
		प्रगामी	496101000	496101000
	योग	वर्तमान	72500000	72500000
		प्रगामी	496101000	496101000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात करोड़ पच्चीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनचास करोड़ इकसठ लाख एक हजार

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याः–1402/नौ–5–2016–133बजट/2013
लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2016

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज के लिये पुनर्गठन पेयजल योजना की लागत रू. 9601.55 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू.1000.00 लाख की स्वीकृति विषयक शासनादेश सख्या–112/2016–1402/नौ–5–2016–133बजट/2013, दिनांक 06.05.2016 की पांचवी लाइन जो निम्न तालिका के कालम–1 में अंकित है, को कालम–2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :–

कालम–1	कालम–2
"का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की "	"का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में रू0 725.00 लाख (रू0 सात करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की "

2– सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06.05.2016 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष प्राविधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

रंग बहादुर सिंह
उप सचिव

संख्या–1402/नौ–5–2016–133बजट/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, वर्क्स लेखा अनुभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, लखनऊ।/सोनभद्र।
3– कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
5– निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/9 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
8– वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9– मुख्य अभियन्ता(इला0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
10– अधिशासी अभियंता, तृतीय खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र।
11– कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

u.o. rathore